न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 10/22 (अपील)

GCMS No. : 2022/451

अनवान्

1. श्रीमती खुर्शीयाबाई पत्नी स्व. मिठु शाह मुसलमान निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मुस्ताक मोहम्मद पिता नन्हे शाह मुसलमान निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. मेमुना बानु पत्नी मुस्ताक मोहम्मद मुसलमान निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत वासनीकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. पटवारी, पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित–1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्।
2. श्री अशोक कुमार वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत वासनीकला नामान्तरकरण संख्या 927 तारीख 21.11.2017 मौजा वासनीखुर्द, तहसील मावली

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 14.07.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम वासनीखुर्द, पटवार हल्का वासनीकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में खाता संख्या 261 नया, 274 पुराना की आराजी नम्बर 765 रकबा 1.1817 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं सहखातेदार रूकसाना पुत्री मोहम्मद खां के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा वर्तमान में उपहार से प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम पर रद्दोबदल किये जाने हेतु नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 765 रकबा 1.1817 हैक्टेयर कृषि भूमि पूर्व में मुझ अपीलान्ट के पति श्री मीठु शाह पिता नूर शाह मुसलमान के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज थी जिस कुलिया कृषि भूमि पर मुझ अपीलान्ट ने अपने पति श्री मीठू शाह जी के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग किया गया तथा मुझ अपीलान्ट के पति के देहावसान के पश्चात् मैं अपीलान्ट कुलिया कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गई तथा वर्तमान में भी मुझ अपीलान्ट का इस भूमि पर कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं।

2. यह कि मुझ अपीलान्ट के पति की उक्त वर्णित कृषि भूमि के इन्च मात्र भू भाग पर भी प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 का कभी कोई कब्जा अधिकार न तो पूर्व में रहा है, न ही वर्तमान में हैं। लेकिन मुझ अपीलान्ट के पति के जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने छल कपट एवं धोखाधड़ी पूर्वक मनमाने ढ़ग से एक नुमाईशी गोदनामा मुझ अपीलान्ट एवं मेरे पति से अपने पक्ष में निष्पादित करवाकर उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़ में पंजीयन करवा दिया तथा मुझ अपीलान्ट के पति श्री मीठु शाह का निधन होने के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त नुमाईशी एवं अवैध गोदनामा की आड़ लेकर विवादित विरासत के नामान्तरकरण संख्या 927 दिनांक 21–11–2017 के जरिए मीठु शाह के बजाय मुझ अपीलान्ट के साथ ही पुत्र की हैसियत से प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपना नाम अंकित करवा लिया। जबकि मुझ अपीलान्ट एवं मेरे पति ने कभी भी प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने गोद नही रखा है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित गोदनामा नुमाईशी होकर अवैध है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा छल कपट एवं धोखाधड़ी कर मुझ अपीलान्ट एवं मेरे पति से अपने पक्ष में नुमाईशी गोदनामा करवा लेने की जानकारी होने पर मुझ अपीलान्ट ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, मावली के समक्ष वाद वास्ते निरस्त किये जाने गोदनामा हेतु प्रस्तुत कर दिया जिसके प्रकरण संख्या 05 सन् 2022 ई. दी. होकर न्यायालय में विचाराधीन है। मुझ अपीलान्ट को उक्त गलत गोदनामा की जानकारी होने पर मुझ अपीलान्ट ने न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही करवा दी जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जरिए अधिवक्ता अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवा दी। किन्तु मेरे पति के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अनाधिकृत रूप से अपना नाम दर्ज करवा लेने से मेरे पति के नाम दर्ज भूमि का 1/2 हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर खाते में अंकित हो गया और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपना नाम अंकित होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने नाम अंकित भूमि में से कुछ भूमि नुमाईशी दस्तावेज के जरिए उसकी पत्नी प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित [illegible] जिसका नामान्तरकरण संख्या 1078

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रक्रियाधीन हैं। जबकि गोदनामा अवैध होकर उसे निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही जारी है तथा अवैध गोदनामा की आड़ में स्वीकृत किया गया विवादित नामान्तरकरण भी गलत एवं अवैद्य हैं तथा इससे जो भी हस्तान्तरण हुए है वह मुझ अपीलान्ट के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है। उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 927 दिनांक 21–11–2017 से दुःखी एवं पीडित होकर उसके विरूद्ध मुझ अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत वासनीकलां का कथित आदेश न्याय एवं विधि के प्रावधानों के विपरित होकर अवैद्य है। क्योंकि विवादित भूमि का नामान्तरकरण खोलने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत वासनीकलां ने बिना वास्तविक जांच किये हुऐ यह नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो पूर्णतया एबइनिशियो वोईड है एवं अवैद्य होकर निरस्त होने योग्य है।

3. यह कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जो अवैधानिक गोदनामा तैयार किया गया है वह कानूनन वैध्य नही है क्योंकि गोद रखे जाने वाले व्यक्ति की पन्द्रह वर्ष से कम उम्र का होना जरूरी है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने गोदनामा में अपनी उम्र 40 वर्ष अंकित कराई जो गलत हैं तथा मुस्लिम विधि में किसी भी व्यक्ति को गोद लेने–देने का कोई प्रावधान नही हैं। गोदनामा में प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं पक्षकार है और स्वयं ने अपनी आयु 40 वर्ष होना अंकित करवाया है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 सरकारी कर्मचारी होकर अभी कुछ दिनों पूर्व ही राजकीय सेवा से सेवानिवृत हुआ है अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 1 की आयु 60 वर्ष की हैं। तथाकथित गोदनामा में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं को बचपन में 8–10 वर्ष की उम्र में ही गोद ले लेने का कथन किया है जबकि गोदनामा में प्रत्यर्थी संख्या 1 के माता पिता द्वारा गोद की स्वीकृति / सहमति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया।
4. यह कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त गोदनामा में प्रकट रूप से अपीलान्ट के पति की वादगत कृषि भूमि का वर्णन करवाया है जिससे यह प्रमाणित है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की नियत प्रारम्भ से ही अपीलान्ट एवं उसके पति की जायदाद हथियाने की रही थी और इसी मकसद को पूरा करने के उद्देश्य से प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त अवैध गोदनामा की रचना कराई जिसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को मीठू शाह का गोद पुत्र नही माना जा सकता हैं, न ही ऐसे अवैध दस्तावेज के आधार पर मीठू शाह की सम्पत्ति में प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्यर्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 ने कथित गोदनामा में अंकित कराया है कि गोदकर्तागण के 100 वर्ष पूर्ण होने अर्थात मृत्यु पश्चात् समस्त गोदकर्तागण के स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि एवं समस्त चल अचल सम्पत्ति का एकमात्र वारिस गोदीना पुत्र गोदग्रहिता का ही अधिकारी रहेगा। ऐसी अवस्था में भी प्रत्यर्थी संख्या 1 मुझ अपीलान्ट के जीवित रहते मीठु शाह की जायदाद में कोई हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं तथा इस आधार पर भी यह नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य हैं।

5. मुझ वादीयां या मेरे पति ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को कभी भी गोद नही रखा था केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मुझ अपीलान्ट व मेरे पति की सम्पत्ति को नाजायज तरीके से हड़पने एवं नुकसान पहुँचाने की बदयान्ति से षडयन्त्र पूर्वक उक्त अवैध गोदनामा का निष्पादन करवाया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के सारे राजकीय, अर्द्ध राजकीय दस्तावेज में उसके प्राकृतिक माता पिता का ही नाम आज भी अंकित चला आ रहा है। यदि मुझ अपीलान्ट व मेरे पति द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसकी बाल्यावस्था में ही गोद ले लिया होता तो इसके सभी दस्तावेज में माता पिता में हमारे नाम अंकित होते। इससे भी स्पष्ट है कि मुझ अपीलान्ट या मेरे पति ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को हमारे गोद नही रखा है, न ही प्रत्यर्थी संख्या 1 हमारा गोद पुत्र है, न ही गोद पुत्र की हैसियत से जाना पहचाना जाता हैं। इस आधार पर भी यह नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य हैं। यह कि मुझ अपीलान्ट एवं मेरे पति द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को कभी भी गोद नहीं लिया है और न ही ऐसी कोई सामाजिक या रूढीवादी प्रथाओ के तहत कोई गोद की रस्म का अनुष्ठान किया गया। कानुनन 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को गोद नही लिया जा सकता है। इस दस्तावेज में प्रत्यर्थी संख्या 1 की 40 वर्ष आयु वर्णित की गई है जबकि 15 वर्ष से अधिक आयु का दत्तक जाना ही अवैद्य है। इस कारण भी गोदनामा अवैध होकर इसके आधार पर स्वीकृत किया गया विवादित नामान्तरकरण निरस्तनीय है। विरासत का विवादित नामान्तरकरण 927 खोलने एवं स्वीकृत करने के वक्त मुझ अपीलान्ट को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है. न ही मुझ अपीलान्ट को सुना गया हैं। गलत नामान्तरकरण स्वीकृत करने से अपीलान्ट को काफी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और मानसिक एवं शारिरीक पीड़ा भी भोगनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत ने मामले को समझा ही नही है और आनन–फानन में अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि मुझ अपीलान्ट की ओर से गोदनामा को निरस्त कराने हेतु माननीय सिविल न्यायालय, मावली में सद्भावना पूर्वक वाद प्रस्तुत कर रखा है किन्तु इस वाद के विचारण के दरमियान अभी कुछ समय पूर्व मुझ अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा सिविल न्यायालय में चल रहे दावे से विवादित नामान्तरकरण निरस्त नही होने की बात कही और विवादित नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु राजस्व न्यायालय में कार्यवाही करने की बात कही। चूँकि मैं अपीलान्ट अनपढ़ महिला होकर ग्रामीण परिवेश की रहनी वाली हूँ जिससे मुझ अपीलान्ट को विवादित नामान्तरकरण को चुनौती देकर निरस्त कराने के बारे में कोई कानूनी जानकारी पूर्व में नही थी तथा सिविल न्यायालय में सद्भावना पूर्वक किये गये दावे से ही मुझ अपीलान्ट को न्याय मिल जाने हेतु आश्वस्त थी जिससे विवादित नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील करने की जानकारी होने पर दिनांक 15.10. 2022 को पटवारी से विवादित नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी की नकल प्राप्त की और अपील के खर्चे की व्यवस्था कर मुझ अपीलान्ट द्वारा अपील तैयार करा आज प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। फिर भी न्याय की दृष्टि से मयाद कन्डोन के लिये धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
7. अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 927 दिनांक 21.11.2017 एवं इससे हुए राजस्व रेकर्ड में समस्त प्रकार के परिवर्तनो को खारिज कर निरस्त फरमाया जावें तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से को मुझ अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने हेतु आदेश बक्षाया जावें।
8. अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ अपीलान्ट की ओर से गोदनामा को निरस्त कराने हेतु माननीय सिविल न्यायालय, मावली में सद्भावना पूर्वक वाद प्रस्तुत कर रखा है किन्तु इस वाद के विचारण के दरमियान अभी कुछ समय पूर्व मुझ अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा सिविल न्यायालय में चल रहे दावे से विवादित नामान्तरकरण निरस्त नही होने की बात कही और विवादित नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु राजस्व न्यायालय में कार्यवाही करने की बात कही। चूँकि मैं अपीलान्ट अनपढ़ महिला होकर ग्रामीण परिवेश की रहनी वाली हूँ जिससे मुझ अपीलान्ट को विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण को चुनौती देकर निरस्त कराने के बारे में कोई कानूनी जानकारी पूर्व में नही थी तथा सिविल न्यायालय में सद्भावना पूर्वक किये गये दावे से ही मुझ अपीलान्ट को न्याय मिल जाने हेतु आश्वस्त थी जिससे विवादित नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही कर सकी। नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील करने की जानकारी होने पर दिनांक 15.10.2022 को पटवारी से विवादित नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी की नकल प्राप्त की और अपील के खर्चे की व्यवस्था कर मुझ अपीलान्ट द्वारा अपील तैयार करा आज प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। मुझ अपीलान्ट द्वारा गोदनामा को निरस्त कराने हेतु समक्ष सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर रखा है तथा कथित अपील प्रस्तुत करने में अपीलान्ट ने जानबुझ कर कोई देरी नही की है व देरी का माकूल कारण है तथा न्याय के लिए देरी के समय को कन्डोन कराया जाना आवश्यक है। कथित नामान्तरकरण अवैद्य है और कानूनन अवैद्य नामान्तरकरण की अपील करने की अवधि बाधित नही होती है तथा अवैद्य नामान्तरकरण को कभी भी चौलेन्ज किया जा सकता है। अंत में निवेदन किया कि दिनांक 21.11.2017 से अपील प्रस्तुती तक जो देरी हुई है उसे कन्डोन फरमाई जाकर अपील को अन्दर मयाद शूमार फरमाया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि पूर्व में श्री मीठू शाह जी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी। शेष तथ्य गलत होकर अस्वीकार हैं। वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट एवं मीठू शाह जी के कोई संतान नहीं होने से इन्होने मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 को मेरी बाल्यावस्था में अपने गोद रख लिया था जब से ही मैं प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने दत्तक माता पिता अर्थात अपीलान्ट व मीठू शाह जी के साथ पुत्र की हैसियत से निवास कर जीवन निर्वाह करता आया हूँ और इसके साथ ही अपने दत्तक माता पिता की सेवा चाकरी, भरण पोषण करता रहा हूँ और अपने दत्तक माता पिता की समस्त चल अचल सम्पत्तियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता रहा हूँ और आज भी करता आ रहा हूँ। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अपीलान्ट अकेले का कोई कब्जा अधिकार कभी भी नही रहा हैं तथा उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट के नाम पर 1/2 हिस्सा दर्ज था जिसे अपीलान्ट द्वारा हस्तान्तरित करने के पश्चात् इस भूमि में अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

का कोई हक अधिकार नही रहा, न ही वर्तमान में हैं। क्योंकि मुझ प्रत्यर्थी ने अपीलान्ट व इसके पति के साथ न तो धोखाधड़ी की है, न ही छल कपट कर गोदनामा निष्पादित कराया है। अपीलान्ट एवं मीठू शाह जी के कोई संतान नही होने से इन्होने मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 को मेरी बाल्यावस्था में अपने गोद रख लिया था जब से ही मैं प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने दत्तक माता पिता अर्थात अपीलान्ट व मीठू शाह जी के साथ पुत्र की हैसियत से निवास कर जीवन निर्वाह करता आया हूँ और इसके साथ ही अपने दत्तक माता पिता की सेवा चाकरी, भरण पोषण करता रहा हूँ और अपने दत्तक माता पिता की समस्त चल अचल सम्पत्तियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता रहा हूँ और आज भी करता आ रहा हूँ।

10. निवेदन किया कि अपीलान्ट व इनके पति मीठू शाह जी ने मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 को मेरी बाल्यावस्था में गोद रख लिया था तथा पूर्व में गोद के सम्बन्ध में कोई लिखापढ़ी नही की हुई होने के कारण दिनांक 27.02.2015 को मेरे दत्तक माता पिता अर्थात अपीलान्ट व मीठू शाह जी ने स्वयं ने गवाहो के साथ मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 को उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़ ले जाकर मेरे पक्ष में गोदनामा की लिखापढ़ी करवा दी और विधिक प्रक्रिया अपनाकर उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़ में गवाहो के साथ उप पंजीयन अधिकारी के रूबरू होकर गोदनामा का पंजीयन करवा दिया एवं गोदनामा का पंजीयन होने के पश्चात् सामाजिक परम्परा अनुसार हमारे समाज में गोद रस्म के 11,000/– ग्यारह हजार रूपया जरिए बुक नं. 8 की रसीद क्रमांक 16 दिनांक 05.03.2015 को जमा करवाये गये। उक्त गोदनामा अपीलान्ट व मीठू शाह जी ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर मेरे पक्ष में निष्पादित किया है जो किसी भी दृष्टि से शुन्य अथवा अवैध नही हैं, न ही नुमाईशी हो सकता हैं। मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 के दत्तक पिता श्री मीठू शाह जी का निधन होने के पश्चात् राजस्व अधिकारियों ने उनके नाम अंकित भूमि का 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के नाम एवं 1/2 हिस्सा गोदपुत्र की हैसियत से मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 927 दिनांक 21.11. 2017 के जरिए दर्ज किया जिससे इस भूमि के 1/2 हिस्से का मैं प्रत्यर्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार बना और कुलिया भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करने लग गया और काफी खर्चा कर भूमि का उपजाऊ बनाई और मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी की कुलिया कृषि भूमि का कुछ हिस्सा से अपनी पत्नी को उपहार में दे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

दी जिससे वर्तमान में इस भूमि की स्वामी मेरी पत्नी हैं। अपीलान्ट ने गोदनामा निरस्त कराने हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, मावली में अवश्य ही वाद पेश कर रखा है लेकिन अपीलान्ट का वाद गलत एवं मनगढन्त कथनों पर आधारित होने से उसमें अपीलान्ट को कभी भी सफलता प्राप्त नही होगी और अपीलान्ट का वाद अन्ततः सव्यय खारिज होगा। मैने अपने दत्तक पिता के निधन होने के बाद अनाधिकृत रूप से अपना नाम दर्ज नही कराया बल्कि रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा पूर्ण जाँच पड़ताल करने के पश्चात् गोदनामा के आधार पर मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में अपीलान्ट के साथ ही विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है और उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को नामान्तरकरण स्वीकृत होने के वक्त से ही थी तथा वादीयां ने गोदनामा निरस्त कराने का जो दावा प्रस्तुत कर रखा है उसमें भी अपीलान्ट ने गोदनामा निष्पादित करना स्वीकार कर रखा हैं और उस दावे में भी उक्त भूमि मेरे नाम पर दर्ज होने का स्पष्ट कथन कर रखा है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त भूमि में मेरे नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत होने का प्रारम्भ से ही ज्ञान था। गोदनामा न तो अवैध है, न ही अपीलान्ट उसे निरस्त कराने की अधिकारीणी हैं। मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने दत्तक पिता से प्राप्त हुए हिस्से को मुझे अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हैं तथा अपीलान्ट स्वयं ने भी अपने पति मीठू शाह से प्राप्त हुए हक हिस्से को अन्य को हस्तान्तरित कर दिया हैं।

11. निवेदन किया कि अपीलान्ट व मीठू शाह जी का मैं प्रत्यर्थी संख्या 1 कानूनन गोद पुत्र हूँ और मैने अपनी बाल्यावस्था से ही अपीलान्ट व मीठू शाह जी के साथ दत्तक पुत्र की हैसियत से निवास किया है, सेवा चाकरी की है एवं भरण पोषण करता रहा हूँ तथा मेरे दत्तक पिता के निधनोपरान्त सामाजिक रिति रिवाज अनुसार एक पुत्र के जो भी दायित्व थे उनको मैने पुत्र की हैसियत से निभाया है और आज भी अपने दायित्वों का निर्वहन करता आ रहा हूँ तथा मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 के दत्तक पिता की मृत्यु होने के पश्चात् मेरी दत्तक माता अर्थात अपीलान्ट ने हज यात्रा करने की इच्छा जाहिर की जिस पर मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलान्ट का पासपोर्ट बनवाया और काफी रूपया खर्चा करके वर्ष 2019 में अपीलान्ट को हज यात्रा करवाई एवं अपीलान्ट के हज यात्रा से लौट आने पर मैने अपीलान्ट की इच्छानुसार गांव समाज में [illegible] आयोजन भी किया और हजयात्रा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

लौट आने के पश्चात् प्रतिवर्ष किये जाने वाले सामाजिक कार्यों को सम्पन्न किया जिन सभी कार्यों में मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 का अब तक काफी रूपया खर्च हुआ हैं। मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं अपीलान्ट के मध्य कभी कोई विवाद अथवा मनमुटाव नही रहा है लेकिन अपीलान्ट को उसके भाई ने अकारण ही मेरे प्रति बहला फुसला दिया और मुझ प्रत्यर्थी को तंग प्रताड़ित करने की गरज से उसने अपीलान्ट के जरिए यह मिथ्या मुकदमे न्यायालय में करवा दिये। ताकि वो येनकेन प्रकारेण दबाव बनाकर इस जमीन एवं अन्य जायदाद को हथिया सके। जबकि उक्त मुकदमेबाजी शुरू होने के पहले तक अपीलान्ट मेरे साथ ही निवास कर रही थी और मैं प्रत्यर्थी अपीलान्ट का वैध गोदीना पुत्र हूँ। ऐसी अवस्था में अपीलान्ट मेरे पक्ष में स्वीकृत हुए उक्त नाान्तरकरण से न तो दुखी है, न ही पीड़ित है और न ही अपीलान्ट इसे चुनौती देने का अधिकार रखती हैं। ग्राम पंचायत वासनीकलां द्वारा जो नामान्तरकरण स्वीकृति किया गया है वह पूर्णतया विधिक प्रावधानों के अनुसार होकर सही हैं। अपीलान्ट व मीठू शाह ने मुझे मेरी बाल्यावस्था में ही गोद ले लिया था लेकिन उस वक्त तक मेरे प्राकृतिक पिता के नाम से मेरे दस्तावेज बन चुके थे और जानकारी के अभाव में दत्तक माता पिता द्वारा गोदनामा की कोई लिखापढ़ी नही कराई जा सकी थी जिससे मेरे दस्तावेज में मेरे दत्तक माता पिता का नाम दर्ज नही हो सका। रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर सम्पूर्ण जाँच पड़ताल कर नामान्तरकरण भरकर स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा पुनः सभी तथ्यों की जाँच कर विरासत के नामान्तरकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

12. रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 द्वारा धारा 5 अवधि अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय, मावली में जो दावा किया है वह पूर्ण मिथ्या एवं मनगढन्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है और अपने भाई के उकसावे एवं सिखावे में आकर मुझे तंग प्रताड़ित करने के आशय से किया गया हैं। विवादित नामान्तरकरण वर्ष 2017 में स्वीकृत हुआ है और इसकी जानकारी अपीलान्ट को उस वक्त से थी क्योंकि इस भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट व मुझ प्रत्यर्थी के नाम पर संयुक्त रूप से स्वीकृत किया गया था और अपीलान्ट स्वयं ने अप[illegible] रुकसाना पिता मोहम्मद खा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचा था जिस विक्रय पत्र के साथ संलग्न होने वाली जमाबन्दी में भी मेरा नाम सहखातेदार की हैसियत से दर्ज था जिससे अपीलान्ट को स्पष्ट रूप से विवादित नामान्तरकरण के बारे में जानकारी थी। ऐसी अवस्था में अपीलान्ट के इन कथनों को नही माना जा सकता कि उसको इस विवादित नामान्तरकरण की पहले की कोई जानकारी नही थी एवं दिनांक 15.10.22 को विवादित नामान्तरकरण की जानकाररी हुई। अपीलान्ट ने केवल अपील को अन्दर मियाद लाने की नियत से यह मिथ्या कथन अंकित किया है जबकि नामान्तरकरण स्वीकृत होने से लेकर अपील प्रस्तुति तक की अवधि को किसी भी दृष्टि से कन्डोन नही किया जा सकता है क्योंकि विवादित नामान्तरकरण का ज्ञान शुरू से ही अपीलान्ट को था इससे अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर है। अपीलान्ट को शुरू से ही इस नामान्तरकरण का ज्ञान रहा है और मेरे नाम पर नामान्तरकरण दर्ज होने के बाद से ही मैं प्रत्यर्थी अपनी उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आया हूँ तथा वर्तमान में मेरी पत्नी उक्त भूमि पर स्वामी की हैसियत से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही हैं। अपीलान्ट को इस नामान्तरकरण का ज्ञान शुरू से ही है जिससे अब अपीलान्ट को इस सम्बन्ध में अपील करने का कोई अधिकार नही रहा है तथा देरी से अपील पेश करने के सम्बन्ध में भी कोई ठोस एवं मजबूत कारण नही दर्शाया है जिससे इस अवधि को कन्डोन नही किया जा सकता है। स्पष्टतः अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होकर खारिज योग्य हैं। मुझ प्रत्यर्थी के नाम पर नामान्तरकरण पूर्णतया विधिक प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकृत हुआ है और अपीलान्ट की जानकारी में हुआ है जो न तो अवैध है, न ही निरस्त योग्य हैं, न ही अपीलान्ट इसे चुनौती दे सकती हैं। अंत में निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील मयाद के बाहर होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन नही की जाकर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

13. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सूचना दिए बिना विवादित नामान्तरकरण पारित किया है। जबकि विवादित नामान्तकरण पारित करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया है उस दस्तावेजात को निरस्त करवाने बाबत अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

अंत में निवेदन किया कि विवादित नामान्तरकरण विधि द्वारा बाधित होने से खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि राजस्व ग्राम वासनीखुर्द, पटवार हल्का वासनीकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में खाता संख्या 261 नया, 274 पुराना की आराजी नम्बर 765 रकबा 1.1817 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं सहखातेदार रुकसाना पुत्री मोहम्मद खां के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज हैं। जो कुलिया कृषि भूमि पूर्व में श्री मीठू शाह जी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी। अपीलान्ट एवं मीठू शाह जी के कोई संतान नही होने से इन्होने प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसकी बाल्यावस्था में अपने गोद रख लिया था जब से ही प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने दत्तक माता पिता अर्थात अपीलान्ट व मीठू शाह जी के साथ पुत्र हैसियत से निवास कर जीवन निर्वाह करता आया है और इसके साथ ही अपने दत्तक माता पिता की सेवा चाकरी, भरण पोषण करता रहा हैं और अपने दत्तक माता पिता की समस्त चल अचल सम्पत्तियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता रहा है और आज भी करता आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अपीलान्ट अकेले का कोई कब्जा अधिकार कभी भी नही रहा हैं तथा उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट के नाम पर 1/2 हिस्सा दर्ज था जिसे अपीलान्ट द्वारा हस्तान्तरित कर दिया गया जिसके पश्चात् इस भूमि में अपीलान्ट का कोई हक अधिकार नही रहा, न ही वर्तमान में हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलान्ट व इसके पति के साथ न तो धोखाधड़ी की है, न ही छल कपट कर गोदनामा निष्पादित कराया है। अपीलान्ट एवं मीठू शाह जी के कोई संतान नहीं होने से इन्होने प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसकी बाल्यावस्था में अपने गोद रख लिया था जब से ही प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने दत्तक माता पिता अर्थात अपीलान्ट व मीठू शाह जी के साथ पुत्र हैसियत से निवास कर जीवन निर्वाह करता आया हैं और इसके साथ ही अपने दत्तक माता पिता की सेवा चाकरी, भरण पोषण करता रहा हैं और अपने दत्तक माता पिता की समस्त चल अचल सम्पत्तियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता रहा हैं और आज भी करता आ रहा हैं। अपीलान्ट व इनके पति मीठू शाह जी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसकी बाल्यावस्था में गोद रख लिया था तथा पूर्व में गोद के सम्बन्ध में कोई लिखापढ़ी नही की हुई होने के कारण दिनांक 27.02.2015 को उसके दत्तक माता पिता अर्थात अपीलान्ट व मीठू शाह जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

ने स्वयं ने गवाहो के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 को उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़ ले जाकर उसके पक्ष में गोदनामा की लिखापढ़ी करवाई और विधिक प्रक्रिया अपनाकर उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़ में गवाहो के साथ उप पंजीयन अधिकारी के रूबरू होकर गोदनामा का पंजीयन करवा दिया एवं गोदनामा का पंजीयन होने के पश्चात् सामाजिक परम्परा अनुसार हमारे समाज में गोद रस्म के 11,000/– ग्यारह हजार रूपया जरिए बुक नं. 8 की रसीद क्रमांक 16 दिनांक 05.03.2015 को जमा करवाये गये। उक्त गोदनामा अपीलान्ट व मीठू शाह जी ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया है जो किसी भी दृष्टि से शुन्य अथवा अवैध नही हैं, न ही नुमाईशी हो सकता हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 के दत्तक पिता श्री मीठू शाह जी का निधन होने के पश्चात् राजस्व अधिकारियों ने उनके नाम अंकित भूमि का 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के नाम एवं 1/2 हिस्सा गोदपुत्र की हैसियत से प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 927 दिनांक 21.11. 2017 के जरिए दर्ज किया जिससे इस भूमि के 1/2 हिस्से का प्रत्यर्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार बना और कुलिया भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करने लग गया और काफी खर्चा कर भूमि को उपजाऊ बनाई और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी की कुलिया कृषि भूमि को अपनी इच्छा से अपनी पत्नी को उपहार में दे दी जिससे वर्तमान में इस भूमि की स्वामी प्रत्यर्थी संख्या 1 की पत्नी अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 2 हैं। अपीलान्ट ने गोदनामा निरस्त कराने हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, मावली में अवश्य ही वाद पेश कर रखा है लेकिन अपीलान्ट का वाद गलत एवं मनगढन्त कथनों पर आधारित होने से उसमें अपीलान्ट को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी और अपीलान्ट का वाद अन्ततः सव्यय खारिज होगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलान्ट व मीठू शाह जी का गोदीना पुत्र हैं तथा अपीलान्ट एवं मीठू शाह ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसकी बाल्यावस्था में गोद ले लिया था जिसका ज्ञान हर आम एवं खास को है और गोद लेने के वक्त से ही प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने दत्तक माता पिता के साथ ही पुत्र की हैसियत से निवास करता रहा हैं और आज भी प्रत्यर्थी संख्या 1. श्रीमती खुर्शीयाबाई एवं मीठू शाह के गोदीना पुत्र के रूप में ही जाना पहचाना जाता हैं तथा अपीलान्ट व मीठू शाह ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में गोदनामा लिखवाकर उसका पंजीयन कराया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने दत्तक पिता के निधन के बाद अनाधिकृत रूप से अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज नही कराया बल्कि रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा पूर्ण जाँच पड़ताल करने के पश्चात् गोदनामा के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में अपीलान्ट के साथ ही विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है और उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को नामान्तरकरण स्वीकृत होने के वक्त से ही थी तथा अपीलान्ट ने गोदनामा निरस्त कराने का जो दावा प्रस्तुत कर रखा है उसमें भी अपीलान्ट ने गोदनामा निष्पादित करना स्वीकार कर रखा हैं और उस दावे में भी उक्त भूमि मेरे नाम पर दर्ज होने का स्पष्ट कथन कर रखा है जिससे यह स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट को उक्त भूमि में मेरे नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत होने का प्रारम्भ से ही ज्ञान था। गोदनामा न तो अवैध है, न ही अपीलान्ट उसे निरस्त कराने की अधिकारीणी हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने दत्तक पिता से प्राप्त हुए हिस्से को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हैं तथा अपीलान्ट स्वयं ने भी अपने पति मीठू शाह से प्राप्त हुए हक हिस्से को अन्य को हस्तान्तरित कर दिया हैं। अपीलान्ट व मीठू शाह जी का प्रत्यर्थी संख्या 1 कानूनन गोद पुत्र हैं और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बाल्यावस्था से ही अपीलान्ट व मीठू शाह जी के साथ दत्तक पुत्र की हैसियत से निवास किया है, सेवा चाकरी की है एवं भरण पोषण करता रहा हैं तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के दत्तक पिता के निधनोपरान्त सामाजिक रिति रिवाज अनुसार एक पुत्र के जो भी दायित्व थे उनको प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पुत्र की हैसियत से निभाया है और आज भी अपने दायित्वों का निर्वहन करता आ रहा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के दत्तक पिता की मृत्यु होने के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 1 की दत्तक माता अर्थात अपीलान्ट ने हज यात्रा करने की इच्छा जाहिर की जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलान्ट का पासपोर्ट बनवाया और काफी रूपया खर्चा करके वर्ष 2019 में अपीलान्ट को हज यात्रा करवाई एवं अपीलान्ट के हज यात्रा से लौट आने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलान्ट की इच्छानुसार गांव समाज में स्वरूचि भोज का आयोजन भी किया और हज यात्रा से लौट आने के पश्चात् प्रतिवर्ष किये जाने वाले सामाजिक कार्यों को सम्पन्न किया जिन सभी कार्यों में प्रत्यर्थी संख्या 1 का अब तक काफी रूपया खर्च हुआ हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं अपीलान्ट के मध्य कभी कोई विवाद अथवा मनमुटाव नहीं रहा है लेकिन अपीलान्ट को उसके भाई ने अकारण ही प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रति बहला फुसला दिया और प्रत्यर्थी संख्या 1 को तंग प्रताड़ित करने की नियत से उक्त के जरिए यह मिथ्या मुकदमे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में करवा दिया। ताकि वो येनकेन प्रकारेण दबाव बनाकर इस जमीन एवं अन्य जायदाद को हथिया सके। जबकि उक्त मुकदमेबाजी शुरू होने के पहले तक अपीलान्ट प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ ही निवास कर रही थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलान्ट का वैध गोदीना पुत्र हैं। ऐसी अवस्था में अपीलान्ट प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत हुए उक्त नाान्तरकरण से न तो दुखी है, न ही पीड़ित है और न ही अपीलान्ट इसे चुनौती देने का अधिकार रखती हैं। ग्राम पंचायत वासनीकलां द्वारा जो नामान्तरकरण स्वीकृति किया गया है वह पूर्णतया विधिक प्रावधानों के अनुसार होकर सही हैं। ग्राम पंचायत को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था और विधिक प्रावधानों की पालना में ही उक्त विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं जो न तो अवैध है, न ही निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्ट व मीठू शाह जी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसकी बाल्यावस्था में अपने गोद रख लिया था तत्पश्चात् अपीलान्ट व मीठू शाह जी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में उक्त गोदनामा निष्पादित कराया और उसका विधिवत पंजीयन कराया हैं। अपीलान्ट व मीठू शाह जी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में उक्त गोदनामा निष्पादित कराया और गोदनामा निष्पादित कराते वक्त इन्होने गोदनामा में प्रत्यर्थी संख्या 1 की आयु क्या अंकित कराई जिसका प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई ज्ञान नही था। प्रत्यर्थी संख्या 1 राजकीय कर्मचारी था और सेवानिवृत हो चुका हैं। अपीलान्ट व मीठू शाह ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसकी बाल्यावस्था में ही गोद ले लिया था लेकिन उस वक्त तक प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्राकृतिक पिता के नाम से प्रत्यर्थी संख्या 1 के दस्तावेज बन चुके थे और जानकारी के अभाव में दत्तक माता पिता द्वारा गोदनामा की कोई लिखापढी नही कराई जा सकी थी जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 के दस्तावेज में उसके दत्तक माता पिता का नाम दर्ज नही हो सका। प्रत्यर्थी संख्या 1 के दत्तक पिता के निधनोपरान्त राजस्व अधिकारीयों द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर उक्त भूमि विरासत से प्रत्यर्थी संख्या 1 व अपीलान्ट के नाम अंकित की गई है जो कि कानुनन सही हैं तथा उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान प्रारम्भ से ही अपीलान्ट को था और हैं। अपीलान्ट व मीठू शाह जी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसके प्राकृतिक माता पिता से गोद लिये जाने के वक्त सामाजिक परम्परा अनुसार एवं रूढीवादी प्रथाओं के अनुसार गोद लेने–देने के सम्बन्ध में सभी रस्मो रिवाजो का निर्वहन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 पुत्र की हैसियत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

अपने दत्तक माता पिता के साथ निवास कर अपने दायित्वो का निर्वाह करता आया है और आज भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1, अपीलान्ट व मीठू शाह का गोदीना पुत्र हैं और अपीलान्ट व मीठू शाह स्वयं ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने गोद लिया है और गोद लेने के समय से ही प्रत्यर्थी संख्या 1 इनके दत्तक पुत्र के तौर पर ही जाना पहचाना जा रहा हैं। ऐसी अवस्था में अपीलान्ट को कोई आर्थिक नुकसान या शारिरीक पीड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता हैं। रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर सम्पूर्ण जाँच पड़ताल कर नामान्तरकरण भरकर स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा पुनः सभी तथ्यों की जाँच कर विरासत के नामान्तरकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। अपीलान्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय, मावली में जो दावा किया है वह पूर्ण मिथ्या एवं मनगढन्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है और अपने भाई के उकसावे एवं सिखावे में आकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को तंग प्रताड़ित करने के आशय से किया गया हैं। विवादित नामान्तरकरण वर्ष 2017 में स्वीकृत हुआ है और इसकी जानकारी अपीलान्ट को उस वक्त से थी क्योंकि इस भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट व प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर संयुक्त रूप से स्वीकृत किया गया था और अपीलान्ट स्वयं ने अपने नाम अंकित हिस्से को रुकसाना पिता मोहम्मद खा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचा था जिस विक्रय पत्र के साथ संलग्न होने वाली जमाबन्दी में भी मेरा नाम सहखातेदार की हैसियत से दर्ज था जिससे अपीलान्ट को स्पष्ट रूप से विवादित नामान्तरकरण के बारे में जानकारी थी। ऐसी अवस्था में अपीलान्ट के इन कथनों को नही माना जा सकता कि उसको इस विवादित नामान्तरकरण की पहले की कोई जानकारी नही थी एवं दिनांक 15.10.22 को विवादित नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अपीलान्ट ने केवल अपील को अन्दर मियाद लाने की नियत से यह मिथ्या कथन अंकित किया है जबकि नामान्तरकरण स्वीकृत होने से लेकर अपील प्रस्तुति तक की अवधि को किसी भी दृष्टि से कन्डोन नही किया जा सकता है क्योंकि विवादित नामान्तरकरण का ज्ञान शुरू से ही अपीलान्ट को था। अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर है। अपीलान्ट का इस नामान्तरकरण का ज्ञान शुरू से ही है जिससे अब अपीलान्ट को इस सम्बन्ध में अपील करने का कोई अधिकार नहीं है तथा देरी से अपील पेश करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

सम्बन्ध में भी कोई ठोस एवं मजबूत कारण नही दर्शाया है जिससे इस अवधि को कन्डोन नही किया जा सकता है। स्पष्टतः अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होकर खारिज योग्य हैं। अंत में निवेदन किया कि सभी आधारो पर अपीलान्ट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावें एवं प्रत्यर्थीगण को अलग से वकील फीस एवं मानसिक प्रताड़ना का खर्चा अपीलान्ट से दिलाया जावें ताकि भविष्य में इस प्रकार की मिथ्या अपील पेश न होवे।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 927 दिनांक 21.11.2017 को पारित किया गया है। जहॉ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट् को सुना गया है और न हीं सूचना दी गई है। इस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं था। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। जिससे की किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नही हो इसके लिए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा सके। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 927 दिनांक 21.11.2017 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पंजीकृत गोदनामे के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा उक्त गोदनामें को निरस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसे रेस्पोडेंट द्वारा भी स्वीकार किया गया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट को सुनना चाहिए था। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट को सुनकर निर्णय पारित करता तो निश्चय ही उक्त भूमि/गोदनामे के संबंध में विवाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आता। जिस गोदनामे के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित किया गया है उसी गोदनामें को अपीलाण्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दे रखी है। इस कारण से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नामान्तरकरण विवादित था विवादित नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में नही होने से तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) में स्पष्ट अंकित किया गया है कि यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवधि विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में सक्षम हो, भेज देगा।

इस प्रकरण में भी ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिए था। तहसीलदार को उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर हितबद्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था। प्रकरण में गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया है। गोदनामा निरस्त करवाने संबंधी प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय मावली के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक प्रकरण में पूर्ववत स्थिति रखा जाना न्यायोचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 927 दिनांक 21.11.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार मावली को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय में गोदनामे से संबंधि विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण के बाद माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested